न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

संख्या:—65 / 2022 (225 आर.टी.एक्ट)
एम.एस .संख्या:—2022 / 115

उनवान

जगदीश पुत्र मल्लू जाति माली निवासी ग्राम पीलूखेडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

रामकेश पुत्र मल्लू जाति माली निवासी पीलूखेडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

श्रीमति मनभर पत्नि रामकेश जाति माली निवासी पीलूखेडा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

....अपीलांट।

बनाम

घनश्याम मीना सरपंच ग्राम पंचायत बतूली तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर राज0।
लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर।

......रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थित:—

1. रंगलाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलांट।
2. राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 15.02.2023

ह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ बौंली जिला सवाई माधोपुर में ायर प्रार्थना पत्र संख्या 05 / 2019 बउनवान जगदीश वगैरह बनाम घनश्याम में पारित र्णय दिनांक 07.10.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

करण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 जस्थान काश्तकारी अधिनियम मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौंली के समक्ष स आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद प्र्राया जावे कि दोराने दावा अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पीलूखेडा तहसील बौंली की

प्राधिकारी
ोपुर

7/10/22 का आधनस्थ न्यायालय...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की खाता संख्या 66 में अंकित खसरा नंबर 180 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 703 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 706 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 707 रकबा 0.58 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 140 में अंकित खसरा नंबर 180/959 रकबा 0.63 है0 खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 है0 खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे तथा उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न स्वयं करे न दीगर से करावें। मातहत अदालत ने दिनांक 26.01.2018 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निम्न अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 66 में अंकित आराजीयात खसरा नंबर 180 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 703 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 706 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 707 रकबा 0.58 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.12 है0 तथा खाता संख्या 140 में अंकित खसरा नंबर 180/959 रकबा 0.63 है0 खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 है0 खसरा नंबर 181 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम पीपलखेड़ा के बाबत है जिससे रेस्पो0 01 जो ग्राम पंचायत दबूणी का निर्वाचित सरपंच है, जिसका कोई संबंध आराजीयात से नहीं होने के बावजूद [illegible] भूमि बताते हुये इस पर निर्माण कराने के प्रयास करने पर आमदा है। जिसके संबंध [illegible] मूल वाद मातहत अदालत में लम्बित है। रेस्पो0 ने प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को गलत रूप से आवंटन कराना कहते हुये प्रार्थीगण के आवंटन को निरस्त कराने हेतु अधीन आवंटन रूल्स 14(4) आपत्ति याचिका भी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर न्यायालय में पेश की तथा इसके आधार पर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों में बाधा उत्पन्न करना चाहा। परन्तु न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर स0 मा0 द्वारा उभय पक्ष को सुनते हुये रेस्पो0 प्रतिवादीगण की याचिका दिनांक 19.07.22 को खारिज कर दिया इस महत्वपूर्ण [illegible] को नजरअंदाज करते हुये मातहत अदालत ने यह निर्णय पारित करते हुये अपीलांट/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कि कतई विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील [illegible] को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी[illegible] है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

प्राधिकारी
[illegible]धोपुर

7/10/22 को अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन [illegible] धारा 212 राज0 काश्त

Scanned with CamScanner

वर्तमान में अपीलांटगण उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। रेस्पो0 01 का विवादित आराजीयात से कही कोई संबंध नही है। चुंकि रेस्पो0 01 वर्तमान में गांव का सरपंच के पद पर कार्यरत है तो अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जबरदस्ती आराजीयात पर निर्माण कार्य करने पर आमदा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.10.2022 को अपास्त किया जावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात सरकारी भूमि हैं जो आबादी की आराजी खसरा न0 692 से सटवा हैं। असलियत में अपीलांटस्/प्रार्थी सं0 02 व 03 को दिये गये कब्जे परिशिष्ट बी के अनुसार हाल खसरा नंबर 177 व 178 मे होना चाहिये जिसे परिशिष्ट सी में लाल स्याही से दर्शाया गया है। सेटलमेंट की गलती को आधार बनाकर अपीलांटस्/वादीगण ने यह विवाद दायर किया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चार दीवारी निर्माण कार्य खेल मैदान एवं आंगनबाडी भवन की पश्चिम की ओर खसरा नंबर 180/959 व खसरा नंबर 8 जो सरकारी भूमि है इससे अपीलांटस् का कोई ताल्लुक नही है। विकास अधिकारी बौली के माध्यम से निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है। परिमाणतः विकास अधिकारी बौली के अधीन कार्यरत ऐजेन्सी सरपंच ग्राम पंचायत गोतोड द्वारा उक्त कार्य प्रारम्भ किया जाकर मौके पर उक्त स्वीकृति के तहत चार दीवारी का निर्माण लगभग पूर्णतः के स्तर पर है। यह निर्माण कार्य सार्वजनिक उपयोग के लिये किया जा रहा है। रेस्पो0 संख्या 01 का उक्त आराजीयात से कोई निजी संबंध नही है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय इन सभी तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध सं.स्त. दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2071-2074 वाके ग्राम पीलूखेडा पटवार हल्का गोतोड तहसील बौली के अनुसार खसरा नंबर 180, 703, 705, 707 कुल किता 4 कुल रकबा 2.12 है0 जगदीश पुत्र गल्लू कोम सा0 देह के नाम तथा खसरा नंबर 180/959, 181 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 रामकेश पुत्र मल्लू मनभर जोजे रामकेश कोम माली सा0 देह हिस्सा बराबर के नाम से दर्ज रिकार्ड है।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि **प्रथमः** रेस्पो0 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे विवादित आराजीयात पर "कब्जा" हासिल हो। ऐसी रि[illegible] मे प्रथम दृष्टया "कब्जा" अपीलांट का ही माना जाता है। **द्वितीयः** ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आराजीयात की खातेदारी के बाबत् कोई [illegible] [illegible] रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई है जिससे की विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 के "[illegible]" की [illegible] हो।

न प्राधिकारी
माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध जमावंदी संवत् 2071–2074 से भी स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के हक मे बनना पाया जाता है। यदि अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति अपीलांट को ही होगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से अपील स्वीकार की जाती है मातहत अदालत के मुकदमा नंबर 05/2019 बउनवान जगदीश वगैरह वनाम घनश्याम में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 को अपास्त किया जाता है। रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पावन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अपीलांट के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजीयात खसरा नं 180, 703, 705, 707 कुल किता 4 कुल रकबा 2.12 है0 तथा खसरा नंबर 180/959, 181 कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 है0 में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे न अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 15.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:56 IST
Reason: SelfAttested

7/10/22 को अधिनस्थ न्यायालय ...

Scanned with CamScanner